

नाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :

(आवेदन पत्र के भाग-‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

----- वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या
 ----- पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का
 परीक्षण श्री ----- (पदनाम) ----- विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक
 ----- को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन
 मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास
 अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता
 है।

हस्ताक्षर,

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक,